

विज्ञापन


म0प्र0 के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण शिक्षुओं के अप्रेंटिस नियोजन हेतु

म0प्र0 राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण सत्र 2011-12 अथवा 2012-13 (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं सत्र 2010-12 अथवा 2011-13 (द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम) में आई.टी. आई. उत्तीर्ण शिक्षुओं को निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क.	ट्रेड	शिक्षु संख्या	प्रशिक्षण अवधि	क.	ट्रेड	शिक्षु संख्या	प्रशिक्षण अवधि
01	मोटर मैकनिक	05	01 वर्ष	10	अर्थमूविंग मशीनरी	05	03 वर्ष
02	वैल्डर	14	01 वर्ष	11	उपकरण यांत्रिकी	05	01 वर्ष
03	विद्युतकार	22	01 वर्ष	12	मिल राइट मैटेनेन्स	15	01 वर्ष
04	बायलर अटेंडेंट	47	2½ वर्ष	13	वायरमेन	05	01 वर्ष
05	स्टीम टरबाईन ऑपरेटर	10	03 वर्ष	14	शीट मेटल	05	02 वर्ष
06	रिवचबोर्ड अटेंडेंट	05	2½ वर्ष	15	मशीनिष्ट	05	01 वर्ष
07	मानचित्रकार सिविल	05	01 वर्ष	16	टर्नर	05	01 वर्ष
08	मानचित्रकार मैकनिकल	05	01 वर्ष	17	फीटर	27	01 वर्ष
09	डिजल मैकेनिक	06	02 वर्ष				

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम एवं शर्तें:-

- शिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म0प्र0पा0ज0क0लि0 द्वारा न तो कोई भी नियुक्ति देने की बाध्यता होगी और न ही शिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात नियोक्ता के पास कार्य करने की बाध्यता होगी।
- एस.सी.वी.टी. पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण अवधि डी.जी.ई.टी. दिल्ली के ज्ञापन दि. 24.02.03 के प्रावधानानुसार रहेगी।
- डाक से आवेदन जमा करने की स्थिति में व्यवसाय का नाम लिफाफे पर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
- आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- केवल आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करें। पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किये गये आवेदकों के आवेदन विचारणीय नहीं है।
- आवेदन पत्र में पत्र व्यवहार के पते में पिन कोड अवश्य दर्शावे।
- आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11/03/14 है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्राप्त होने में कोई विलम्ब होने/आवेदन पत्र गुम होने/फटने/नष्ट होने की स्थिति में म0प्र0पा0ज0क0लि0, सारनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में निर्धारित शुल्क पर उपलब्धतानुसार ही आवास आवंटित किये जा सकेंगे।
- शिक्षुओं को म0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- शिक्षुओं को मासिक शिक्षुवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा वर्षवार निर्धारित/संशोधित दरों पर किया जावेगा।
- आवेदन में शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक होने पर 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची भी संलग्न की जावे।
- आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ प्रेषित करें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जावे।
- प्रशिक्षुओं का चयन उनके प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर किया जावेगा।
- अजा/अजजा वर्ग एवं विकलांगों के लिये आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
- किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म0प्र0पा0ज0क0लि0 अपने पास सुरक्षित रखता है।
- विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट mppgenco.nic.in पर भी देखी जा सकती है।


अधीक्षण अभियंता(मुख्यालय)
म0प्र0पा0ज0क0लि0, सारनी

ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है।

ट्रेड प्रशिक्षु के लिये आवेदन पत्र
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य अभियंता(उत्पादन)
म0प्र0पा0ज0क0लि0,
सारनी जिला-बैतूल (म0प्र0)
460 447

पासपोर्ट साईज फोटो
चस्पा करें

01. आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में) श्री / श्रीमति / कु0 -----
(अंग्रेजी में) Shri/Smt./Ku. -----
02. पिता / पति का नाम श्री -----
(अंग्रेजी में) Shri -----
03. लिंग :-महिला / पुरुष
04. वर्ग(अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / सामान्य)
05. जन्म तिथि --- / --- / ----- मोबाईल नं.-----
06. पत्र व्यवहार का पता -----

- जिला - प्रदेश पिनकोड
08. शैक्षणिक योग्यता (आवश्यकतानुसार ही जानकारी दर्ज की जावे) :-

परीक्षा	शाला का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
08 वी					
10 वी					
12 वी					

09. तकनीकी योग्यता:-

ट्रेड	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियां)

01. मूल निवास प्रमाण पत्र ।
02. शैक्षणिक योग्यता अंकसूची(8वीं / 10वीं / 12वीं) ।
03. औद्योगिक प्रशिक्षण की अंकसूची ।
04. जाति प्रमाण पत्र (सिर्फ अजा / अजजा उम्मीदवारों के लिये)
05. विकलांगता प्रमाणपत्र (सिर्फ विकलांग उम्मीदवारों के लिये)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

मैं ----- आत्मज / आत्मजा श्री -----

प्रमाणित करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णरूपेण सत्य है ।
असत्य / अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म0प्र0पा0ज0क0लि0 द्वारा की जाने वाली समस्त
कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)